पत्रांक– 04/अ०का०16–81/2026...2251

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार पाण्डेय,
निदेशक (प्रशासन)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 05.11.2026

विषय :– सभी विद्यालयों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र की प्रति विद्यालय अभिलेख में रखना एवं DBT हेतु सभी बच्चों का एकल अथवा Joint A/c सरकारी बैंक में खुलवाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा 2014 से Financial inclusion हेतु सभी का बैंक खाता सरकारी बैंकों में खोलने का निर्देश प्राप्त है। बैंक में खाता खुलवाने के समय जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता विद्यालयों में नामांकन के दौरान भी होती है। उपर्युक्त के आलोक में सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते है :–

(क) सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) की प्रति विद्यालय अभिलेख में होना अनिवार्य है। (जन्म प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया/पंचायत सेवक तथा शहरों में नगर निकायों द्वारा निर्गत होता है।)

(ख) सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों का एक बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। इससे DBT (Direct Benefit Transfer) की राशि देने में आसानी होगी। यह खाता Single/Joint हो सकती है। यह सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंको में ही खोली जानी चाहिए।

(ग) सभी प्रधानाध्यापक नजदीकी बैंक शाखा प्रबंधकों से संपर्क स्थापित करेंगे और विद्यालय के सभी बच्चों का खाता खुलावाऐंगे विशेषकर उनका, जिन्हें छात्रवृत्ति (scholarship) देय है।

(घ) सभी प्रधानाध्यापक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुखिया से संपर्क स्थापित करके सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराऐंगे। यह दोनो कार्य अभियान चलाकर दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण करें।

विश्वासभाजन,

5.11.26

(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक :– 04/अ०का०16–81/2026– 2251 पटना, दिनांक– 05.11.2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक/विशेष सचिव के आशुलिपिक/सभी निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.11.26

निदेशक (प्रशासन)